

उत्तराखण्ड शासन  
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6  
संख्या:- 20/XXX(6)/21-20(02)2014  
देहरादून: दिनांक: 02 फरवरी, 2021  
अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार(संशोधित) अधिनियम 2014 की धारा 13(1) एवं धारा 15 के प्राविधानान्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री अनिल कुमार रतूड़ी को "उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग" के आयुक्त के पद पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 (3) के अधीन श्री अनिल कुमार रतूड़ी के शपथ ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। श्री रतूड़ी द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण उक्त अधिनियम की धारा 15 (2) के अनुरूप किया जा सकेगा।

3. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, के लिये होगी एवं शेष सेवा-शर्तें शासनादेश संख्या: 57/XXX(6)/20-20(02)14, दिनांक 27.07.2020 के अनुरूप होंगी।

4. आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 15(5) के अनुरूप होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(ओम प्रकाश)  
मुख्य सचिव

- संख्या:- 20/XXX(6)/21-20(02)2014 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव देहरादून।
  4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
  5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
  6. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  7. निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  8. श्री अनिल कुमार रतूड़ी, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड
  9. सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून उत्तराखण्ड।
  10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
  11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
  12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की 100 प्रतियाँ मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  13. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 देहरादून।
  14. मीडिया सेंटर।
  15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
(भूपाल सिंह मनराल)  
सचिव